

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (ओ-326 /94) (लिंक नं. 2788)/अलेसे-11/2343 दिनांक :- 25.01.2018

कार्यालय आदेश

पुलिस अधीक्षक-प्रथम, कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर ने उनके पत्र क्रमांक भनिब/अशा/3/2018/37-40 दिनांक 04.01.2018 से श्री ओम प्रकाश सिंघल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिंक नं. 2788) कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, दौसा द्वारा दिनांक 03.01.2018 को 5000/- रुपये (पांच हजार रुपये) की रिश्त मांग कर प्राप्त करने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने एवं इनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 05/2018 पंजीबद्ध करने की सूचना प्रेषित की है।

राजस्थान सिविल सेवा (सी.सी.ए) नियम 1958 के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री ओम प्रकाश सिंघल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को गिरफ्तारी की दिनांक 03.01.2018 से निलम्बित माना जाकर अग्रिम ओदशो तक निलम्बित रखा जाता है। निलम्बन अवधि में श्री सिंघल का मुख्यालय कोषालय अलवर रहेगा।

श्री सिंघल को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (ओ-326 /94) (लिंक नं. 2788)/अलेसे-11/2343 दिनांक :- 25.01.2018

1. प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
संयुक्त शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय जयपुर
2. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा।
5. कोषालय अलवर।
6. जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी कार्यालय, दौसा।
7. श्री ओम प्रकाश सिंघल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी कार्यालय, दौसा।
8. वरिष्ठ निजी सहायक-निदेशक महोदय।
9. कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने / पी.आई.एस इन्द्राज हेतु।
10. निजी पत्रावली/पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा/जांच शाखा/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)